

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं० सं०-पि०व०/वि०वि०-25-25/2018- 34

पटना, दिनांक- 07/05/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रु० 1,000/- (रु० एक हजार) प्रति माह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु कुल राशि रु० 6,96,00,000/- (रु० छः करोड़ छियानवे लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रु० 1,000/- (रु० एक हजार) प्रति माह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु कुल राशि रु० 6,96,00,000/- (रु० छः करोड़ छियानवे लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2-उक्त संपूर्ण स्वीकृत राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के माँग सं०-11 के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण -लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा- विषय शीर्ष- 34-छात्रवृत्ति/वजीफा 0101-.34. 01-छात्रवृत्ति/वजीफा" विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101 के अधीन विकलनीय होगा।

3-इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4-इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित दिनांक-07.02.2014), 2011 के नियम-272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापक-3808 दिनांक- 02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार/विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों/मार्गदर्शिका में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5-उपर्युक्त योजना का संचालन विभाग के नाम से ICICI बैंक, दुजरा, पटना शाखा में संधारित सरकारी बचत खाता संख्या-413501000271 IFSC Code-ICIC0004135 के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

6-उपर्युक्त योजना के संचालनार्थ निदेशालय के नामित पदाधिकारी, से अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका-3 में घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त कंडिका-6 के आलोक में राशि की निकासी कर उक्त योजना से संबंधित विभाग के नाम से ICICI बैंक के दुजरा, पटना शाखा में खोले गये सरकारी बचत खाता 413501000271 IFSC Code-ICIC0004135 में राशि बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात् नामित पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी-सह-निदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर अभ्यर्थियों के बैंक खाता में राशि का अंतरण DBT के माध्यम से करेंगे।

8-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा योजना के संचालनार्थ नामित पदाधिकारी क्रमशः स्वीकृत राशि के नियमानुसार निकासी एवं व्यय हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी नहीं की जाय।

P.T.O

9-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना योजना के संचालनार्थ नामित पदाधिकारी से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

10-प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं।

11-प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

विश्वसंधिभाजन

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०-पि०व०/विविध-25-25/2018- 34

पटना, दिनांक- 04/05/2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(1) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक/संबंधित प्रशाखा/बजट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखाशाखा (दोहरी प्रति में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित/आईटी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०-पि०व०/विविध-25-25/2018- 34

पटना, दिनांक- 04/05/2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।